न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 88/2021

1 पतासी देवी पत्नी मांगीलाल।
2 पोखरमल पुत्र मांगीलाल।
3 रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल।
4 मोहनी देवी पत्नी गणपत।
5 श्रवण कुमार पुत्र गणपत।
6 सीताराम पुत्र गणपत समस्त जाति जाट निवासीगण मूण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी मूण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का मूण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर।
4 उप पंजियक धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद बउनवानी मोहनलाल बनाम पतासी आदि मुकदमा नम्बर 55/2021 में पारित किया गया आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नवरत्न सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 02.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 में एक पक्षीय रूप से दिनांक 01.10.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन स्थगन की आड़ में रेस्पोडेंट अपीलांट को उनके कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डाल रहा है। अपीलांट विधिवत विभाजन हेतु तैयार है। स्थगन की आड़ में रेस्पोडेंट अपीलांट के पुराने मकानों के सुधार में बाधा डाल रहा है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सहकाश्तकारी की भूमि में विभाजन से पूर्व एक पक्षीय रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। पक्षकारो के मध्य धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थिति देकर चाराजोही नही की गई है। ऐसी स्थिति में अन्तरिम आदेश के विरूद्व इस स्तर पर अपीलांट कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपील खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने आर.आर.टी. 2021(1) पेज 333 की नजीर पेश की।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में सहकाश्तकारी की भूमि में विभाजन से पूर्व एक पक्षीय रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। पक्षकारो के मध्य धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थिति देकर चाराजोही नही की गई है। ऐसी स्थिति में अन्तरिम आदेश के विरूद्व इस स्तर पर अपीलांट कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायहित एंव आदेश 39 नियम 3 की पालना हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम निस्तारण आगामी दो माह में करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर